मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 29, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख

प्रश्नकाल प्रारंभ होने से पूर्व डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि अध्यक्ष महोदय कल आपने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कहा था. इस पर आसंदी द्वारा अवगत कराया गया कि पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए.

2. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 111 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 139 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

अविश्वास प्रस्ताव को कार्यसूची में शामिल कर अग्रेतर कार्यवाही की जाना

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि "मेरे द्वारा कल सदन में उल्लेख किया गया था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा दी गई अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मेरे समक्ष विचाराधीन है. प्रतिपक्ष से आरोप-पत्र भी कल दिनांक 19.12.2022 को प्राप्त हुए हैं. प्रस्ताव नियमानुसार है. अत: विधान सभा प्रक्रिया के नियम 143 (2) के तहत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना को दिनांक 21.12.2022 की कार्यसूची में शामिल कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी".

4. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को** आदिवासी क्षेत्रों में बिजली की समस्या से संबंधित बैनर पहनकर गर्भगृह में प्रवेश किया. नेता प्रतिपक्ष एवं अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर वापस अपने आसन पर गए.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री शेलेन्द्र जैन, सदस्य ने ईसाई मिसनरीज द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने,

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम जिले में विस्थापित बंगाली काबिज शरणार्थीयों को विसंगति के कारण पट्टा नवीनीकरण की कार्यवाही लंबित होने,

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने प्रदेश मे नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में कमी किए जाने के कारण निकाय के कर्मचारियों को वेतन समय पर न मिलने,

(4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने भोपाल स्थित शासकीय कार्यालयों में साफ-सफाई हेतु नियुक्त ठेकेदार द्वारा ठेका मजदूरों का शोषण किये जाने,

(5) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य ने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए लायसेसी शस्त्रों के नवीनीकरण में शुल्क वृद्धि पर पुर्नविचार किये जाने,

(6) श्री पांचीलाल मेढ़ा, सदस्य ने रायगढ़ जिले में पटवारी प्रशिक्षण के नाम पर फर्जी भुगतान किया जाने,

(7) इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर फिंगर प्रिंट/अंगूठा लगाने के उपरांत भी प्रिंट नहीं आने के कारण उपभोक्ताओं की राशन न मिलने तथा

(8) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने प्रदेश में लम्बे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की विभिन्न प्रकार की विसंगतियां होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

6. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) किसानों की ऋण मांफी से संबंधित प्रश्न का उत्तर न आ पाना

श्री जितू पटवारी, सदस्य ने उल्लेख किया कि - मैंने किसानों की ऋण मांफी के संबंध में कम से कम दस बार एक ही प्रश्न पूछा हर बार एक ही जैसा उत्तर मिला कि "जानकारी एकत्रित की जा रही है. इस विषय पर मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना भी दी है. माननीय मंत्री महोदय ने कल पांच ट्विट किए जिसमें इस संदर्भ को लेकर बात की गई कि पिछली सरकार ने किसानों के ऋण माफ नहीं किए और जो दोषी हैं उनको जेल तक होना चाहिए. ऐसे ट्विट किए हैं. परन्तु जब यही पत्र मैंने दस बार पूछा सभी विधायकों ने एक-एक बार लगाया, सभी में जवाब आया कि “जानकारी एकत्रित की जा रही है”. यह आसंदी का अपमान एवं सदस्यों का अपमान है. आसंदी इस पर संज्ञान लेकर इस पर कार्यवाही करें.और माननीय मंत्री महोदय को निर्देश दें.

(2) गेहूं खरीदी केन्द्र में घोर अनियमितता किया जाना

श्री तरूण भनोत, सदस्य ने उल्लेख किया कि कमलपुर जिले के पनागर सही तरीके गेहूं खरीदी केन्द्र 01 एवं 02 सुवेयर खीर जबलपुर से की गयी थी जिसकी जॉच दिनांक 252020 को तत्कालीन एकीजसमें भारी अनियमिता एवं भ्रष्ट्राचार पाया जिसने कलेक्टर द्वारा करने एवं उसके मालिक एवं सम्बन्धित कर्मचारीयों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जिससे नापना में 512/2020 के अर्न्तगत धारा 13(1)) 1) प्रकरण दर्ज किया गया। लगभग तीन वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी चलान न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया गया। राजनैतिक दबाव के कारण पुलित एवं सहकारिता विभाग के अधिकारीयों द्वारा उलटा उन किसानों पर ही फर्जी ऋण बढाकर अपराधीयों में सज्ञा करने का दबाया जा रहा है। दिनांक 1762022 को उपायुक्त सहकारिता द्वारा प्रभारी प्रबंधक एवं प्रकारका ससद पर एफ आई आर दर्ज करने हेतु थाना पनागर को पत्र लिखा गया परन्तु आज दिनांक कोई कार्यवाही नहीं की गई.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 पटल पर रखे.

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला रीवा, सतना एवं शहडोल का वर्ष 2019-20 तथा जिला अनूपपुर एवं सतना के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे.

(3) डॉ.अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-22, एवं

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-22

पटल पर रखे.

(4) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018-19 पटल पर रखे.

(5) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 62 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन सहित पटल पर रखे.

8. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी और उनका उत्तर पटल पर रखा हुआ माना जाएगा.

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने भोपाल के वार्ड क्रमांक 26 में विद्युत बिलों की अवैध वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) सर्वश्री पंचूलाल प्रजापति, सोहनलाल बाल्मीक, शैलेन्द्र जैन एवं डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्यगण ने सतना जिले के बेला में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी द्वारा अनियमित खुदाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(3) श्री संजय यादव, सदस्य के अनुपस्थित होने के कारण उनके द्वारा अधिकृत श्री विनय सक्सेना, सदस्य ने जबलपुर के बरगी को पूर्णकालिक तहसील का दर्जा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(4) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य ने रीवा स्थित संजय गांधी मेडिकल कालेज में चार मरीजों की मौत होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 197-गंधवानी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री उमंग सिंघार को विधान सभा के दिसम्बर, 2022 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की प्रदान की.

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का आवेदनों से संबंधित चतुर्थ, उन्नीसवां एवं बीसवां प्रतिवेदन तथा अभ्यावेदनों से संबंधित बाईसवां एवं तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

सभापति महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

11. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
(2) श्री घनश्याम सिंह (जिला-दतिया)
(3) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
(4) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा)
(5) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
(6) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(7) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(8) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(9) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)

(अपरान्ह 1.26 बजे से 3.30 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022)	1 घण्टा
4.	मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 23 सन् 2022)	1 घण्टा
5.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 24 सन् 2022)	1 घण्टा
6.	वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे
7.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022)	30 मिनिट
8.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022)	30 मिनिट
9.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022)	1 घण्टा

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री ने मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 23 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 24 सन् 2022) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

14. वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिये दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

15. अध्यक्षीय घोषणा

कार्यसूची के पद-7 "शासकीय विधि विषयक कार्य में उल्लिखित विधेयकों को पद क्रमांक-8 के पश्चात् अनुपूरक कार्यसूची में उल्लिखित पद क्रमांक-9 के रूप में आज ही विचार में लिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद 7. "शासकीय विधि विषयक कार्य" में उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने, उन्हें पद क्रमांक 8 के पश्चात् अनुपूरक कार्यसूची में उल्लिखित पद क्रमांक-9 के रूप में आज ही विचार में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(6) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री जयवर्धन सिंह
(2) श्री तरूण भनोत
(3) श्री आशीष गोविन्द शर्मा

श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

17. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि कल आपने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने का निर्णय किया है. मैं आसंदी से अनुरोध करता हूँ कि कल भोजनावकाश न कर लगातार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाए. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसका समर्थन किया गया तथा आसंदी ने नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त किया कि ठीक है, कर देंगे.

18. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(7) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(3) श्री बाला बच्चन
(4) श्री तरूण भनोत
(5) श्री सोहनलाल बालमीक
(6) श्री प्रियव्रत सिंह

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री कुणाल चौधरी
(2) श्री देवेन्द्र वर्मा

डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 23 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(3) श्री लक्ष्मण सिंह
(4) श्री अजय विश्नोई
(5) श्री सुरेन्द्र पटवा
(6) श्री सोहनलाल बालमीक

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 23 सन् 2022)पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 24 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री प्रियव्रत सिंह
(2) श्री पी.सी. शर्मा
(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम

श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 24 सन् 2022) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 5.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 (30 अग्रहायण, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 20 दिसम्बर, 2022.